**बिहार सरकार**

**<u>स्वास्थ्य विभाग</u>**

**<u>अधिसूचना</u>**

सं0सं0 09/एम0 क्रय–01–83/98 377(9) दिनांक– 08/04/2017

डा0 बक्शी किशोरी रमण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक, राँची मानसिक आरोग्यशाला, काँके राँची, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43बी के तहत विहितरिति से एम0एस0डी0 कोलकत्ता से दवा क्रय में स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र सं0–176(10) दिनांक 27.01.82 में निरूपित नियमों के विपरित सरकारी राशि का दुरूपयोग वित्तीय नियमों की अवहेलना तथा दवा मद में आवंटित राशि के अतिरिक्त एम0एस0डी0 कोलकत्ता कुल 11,97,349/– रूपये की दवा क्रय एवं ब्यादेश भेजने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0–793(9) दिनांक 01.09.15 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना से प्राप्त अधिगम के कंडिका–5 निष्कर्ष में जांच एवं विश्लेषण के आलोक में कंडिका–2–(i) में सूचीबद्ध कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं पाते हुए अधिगम समर्पित किया गया है।

डा0 बक्शी किशोरी रमण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक, राँची मानसिक आरोग्यशाला, काँके राँची, सम्प्रति सेवानिवृत्त पता–शेखपुरा मोड़, राईडिंग रोड, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना द्वारा मा0 उच्च न्यायालय पटना में पेंशन/उपादान की 10% पेंशन एवं उपादान की राशि की विमुक्ति हेतु सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–12149/2015 दायर किया गया है। दिनांक 06.02.2017 को मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

Since the order passed by the writ court was not carried before the Division Bench in appeal, at this stage, I am not passing any positive order directing the respondents to make payment of 10% of the pension and gratuity to the petitioner. However, taking into consideration the inordinate and unexplained delay in conclusion of the proceeding against the petitioner, I direct the respondents to dispose of the inquiry proceeding against the petitioner by passing a reasoned order within a period of six weeks from the date of receipt/communication of this order failing which the inquiry against the petitioner initiated under Rule 43(b) of the Bihar Pension Rules shall be deemed to have been quashed and in that eventuality the respondents shall pay 10% of the pension and the entire gratuity to the petitioner without any further dealay.

मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 06 सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का आदेश पारित किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश एवं विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी, विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा समर्पित अधिगम के आलोक में समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही का निष्पादन करते हुए डा0 बक्शी किशोरी रमण प्रसाद सिन्हा को 10% पेंशन उपादान विमुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अतः डा0 सिन्हा को 10% पेंशन एवं उपादान भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– सं0सं0 09/एम0 क्रय–01–83/98 – 377(9) दिनांकः– 08/05/2017

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार (ले0ह0) बिहार, पटना/अवर सचिव वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– डा0 बक्शी किशोरी रमण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन अधीक्षक, रांची मानसिक आरोग्यशाला, काँके रांची, सम्प्रति सेवानिवृत्त पता–शेखपुरा मोड़, राईडिंग रोड, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 17 एवं 18 (प्रोन्नति कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपिः**– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8.5.17

सरकार के अवर सचिव